उत्तराखण्ड सरकार
निर्वाचन विभाग
संख्या–697 / XXV – 128 – 1 (5) / 2008

दिनांकः देहरादून 25 अक्टूबर, 2011

निविदा सूचना

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण/विधान सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन हेतु फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की **लेजर प्रिन्टिग** एवं आपूर्ति कार्य के लिए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में सूचीबद्ध करने हेतु **दिनांक 21 नवम्बर, 2011 को अपरान्ह 03.30 बजे तक** इच्छुक निविदा–दाताओं से मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उल्लिखित अन्तिम तिथि व समय तक प्राप्त निविदाओं की तकनीकी निविदाओं को, **उसी दिन अपरान्ह 04.30 बजे** निविदा समिति द्वारा उपस्थित निविदा–दाताओं के सम्मुख खोला जायेगा। उक्त तिथि को अवकाश की दशा में अगले कार्यदिवस को नियत समय पर तकनीकी निविदा खोलने की कार्यवाही की जायेगी। निविदा के लिए निर्धारित नियम–शर्तों के अनुसार इच्छुक निविदा–दाता द्वारा अपनी मोहरबन्द निविदा **मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, कक्ष संख्या–15 उत्तरी ब्लाक 04–सुभाष रोड़ सचिवालय** देहरादून में प्रस्तुत की जा सकती हैं। निविदा फार्म किसी भी कार्यदिवस और कार्यालय समयान्तर्गत **दिनांक 18 नवम्बर, 2011 को अपरान्ह 05.00 बजे तक** उल्लिखित कार्यालय से **₹ 1250+156VAT कुल 1406.00 अर्थात 1410.00 (एक हजार चार सौ दस)** के नकद/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो **''मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड''** के पदनाम से तैयार किया गया हो भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के सम्बन्ध में निर्धारित नियम/शर्तें संलग्न है। निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय **वेबसाईट** **http:/ceo.uk.gov.in** से भी प्राप्त की जा सकती है। वेबसाईट से निविदा फार्म डाउनलोड करने पर **₹ 1410.00 (एक हजार चार सौ दस) मात्र** की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जिसे **''मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड''** के पदनाम से तैयार किया गया हो और देहरादून में देय हो, तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। **दिनांक 09 नवम्बर, 2011 को पूर्वान्ह 11.00 बजे सचिव एवं मु0नि0अ0 के सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष में एक प्री बिड मीटिंग का आयोजन भी किया गया है** जिसमें इच्छुक निविदा–दाता प्रतिभाग कर सकते हैं। किसी भी निविदा को स्वीकृत/ अस्वीकृत किए जाने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

ह0–

(सौजन्या)
अपर सचिव एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

निविदा फार्म संख्या.......

फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिन्टिंग हेतु निविदा फार्म।

निविदा फार्म का मूल्य	Rs.	1250.00
वैट (12.5%)	Rs.	156.00
कुल मूल्य	**Rs.**	1406.00 अर्थात **1410.00**

क-निविदा फार्म की बिक्री हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि और समय	18 नवम्बर, 2011 (शुक्रवार) अपरान्ह 05.00 बजे तक
ख-पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि और समय	21 नवम्बर, 2011 (सोमवार) अपरान्ह 03.30 बजे तक
ग- निविदा समिति के द्वारा तकनीकी निविदा खोले जाने की अन्तिम तिथि और समय	21 नवम्बर, 2011 (सोमवार) अपरान्ह 04.30 बजे
घ-प्री बिड मीटिंग हेतु निर्धारित तिथि, समय और स्थान	09 नवम्बर, 2011 (बुधवार) पूर्वान्ह 11.00 बजे (सचिवालय स्थित सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय कक्ष में)

निविदा फार्म क्रय करने एवं निविदा बॉक्स में मुहरबन्द निविदाएं जमा करने का पता →

कार्यालय:-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
उत्तरी ब्लाक, कक्ष संख्या-15
उत्तराखण्ड सचिवालय,
04-सुभाष रोड़, देहरादून ।
टेलीफैक्स:-0135-2713551 / 52

SECTION-A

कार्य क्षेत्र में समाहित कार्य का विवरण
(Scope of Work)

1- उत्तराखण्ड राज्य की समस्त 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिन्टिग करना। (केवल कम से कम 1200 DPI पर लेजर प्रिन्टिग ही, किसी भी स्थिति में फोटो स्टेट नहीं)

2- लेजर प्रिन्टिग के पश्चात प्रत्येक मतदेय स्थल की निर्वाचक नामावली को क्रमबद्ध ढंग से (पृष्ठवार) Staple करना

3- Staple करने के पश्चात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार सेट तैयार करना, अर्थात यदि एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 001से 142 तक मतदेय स्थल हैं तो मतदेय स्थल संख्या-001 से 142 तक की निर्वाचक नामावली को क्रमबद्ध लगाकर सेट बनाना। प्रत्येक सेट के नीचे और ऊपर Suport के लिए मजबूत मोटा गता रखकर सेट को चारों ओर से मजबूत रस्सी से बांधना।

4- राज्य में लगभग कुल 60 लाख मतदाता हैं और एक पेज पर अधिकत्तम 30 मतदाताओं का विवरण ही लेजर प्रिन्ट होगा। इस प्रकार निर्वाचक नामावली के फोटोयुक्त कुल पेजों की संख्या लगभग 2.00 लाख होगी।

5- राज्य के 9744 मतदेय स्थलों में प्रत्येक मतदेय स्थल के लिए फोटोयुक्त पेजों के अलावा लगभग 3 अतिरिक्त पेज होंगे (कवर पेज+नजरी नक्शा+समरी पेज) इनकी कुल संख्या लगभग-29232 होगी।

6- *फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों का दिनांक 02 जनवरी, 2012 को अन्तिम प्रकाशन एवं विधान सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिए लगभग 30 सेट लेजर प्रिन्टिग करवाए जाने की आवश्यकता होगी । (सेटों की संख्या घट- बढ़ सकती है)*

7- कार्यादेश के पश्चात अधिकत्तम 07 दिन के अन्दर लेजर प्रिन्टिग करना, मतदेय स्थलवार Staple कर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार सेट बनाकर प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय भण्डार (राज्य के समस्त 13 जनपदों में स्थित जिला निर्वाचन कार्यालयों) तक पहुँचाना।

SECTION-B

-:निविदा-दाताओं के लिए विशेष निर्देश एवं आवश्यक शर्तें:-

1— उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली—2008 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में दो प्रस्ताव निविदा प्रणाली के आधार पर **फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिन्टिग एवं आपूर्ति हेतु फर्मों को सूचीबद्ध किए जाने के लिए दिनांक 21 नवम्बर, को अपरान्ह 03.30 बजे तक** मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उक्त नियत तिथि एवं समय तक निविदाएं स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से **कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, कक्ष संख्या—15 उत्तरी ब्लाक, सचिवालय परिसर, 04—सुभाष रोड़ देहरादून** में प्रेषित/प्रस्तुत की जा सकती हैं /निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है। उल्लिखित अन्तिम तिथि व समय तक प्राप्त निविदाओं की तकनीकी निविदाओं को, **उसी दिन अपरान्ह 04.30 बजे** निविदा समिति द्वारा उपस्थित निविदा—दाताओं के सम्मुख खोला जायेगा। उक्त तिथि को अवकाश की दशा में अगले कार्यदिवस को नियत समय पर तकनीकी निविदा खोलने की कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त किसी भी निविदा/निविदाओं को निविदा के रूप में प्राप्त/स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा फार्म **दिनांक 18 नवम्बर, 2011 को अपरान्ह 05.00 बजे** तक किसी भी कार्यदिवस और कार्यालय समय पर निर्धारित नकद मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है।

2— निविदा—दाता फर्म आदि का व्यापार कर/ आयकर एवं सेवाकर विभाग में **रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।** व्यापार कर/आयकर /सेवाकर विभाग में **रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी अभिलेखों की सत्यापित छाया प्रति,** जिसमें पैन कार्ड की सत्यापित छाया प्रति भी हो, उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।

3— फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की सन्तोषजनक ढंग से गुणवत्तायुक्त लेजर प्रिन्टिग कार्य करने का **विगत कम से कम तीन साल का अनुभव** होना अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

4— फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की सन्तोषजनक ढंग से गुणवत्तायुक्त लेजर प्रिन्टिग सम्बन्धी विगत तीन वर्षों में ***(वित्तीय वर्ष—2008—09, 2009—10 एवं 2010—11)*** *प्रत्येक वर्ष में* ***कम से कम 20.00 लाख (बीस लाख)*** टर्न ओवर होना चाहिए। ***टर्नओवर से संबंधित सी0ए0 के द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंस शीट की प्रमाणित छाया प्रति, जिसमें फर्म के कार्यालय एवं कार्यशाला में स्थापित लेजर प्रिन्टरों तथा स्थापित अन्य उपकरणों के मूल्यांकन (Evaluation) का उल्लेख भी किया गया हो, प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी*** **/ निर्दिष्ट निविदा मूल्य के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वित्तीय हैसियत प्रमाण पत्र का प्रमाणित अभिलेखीय साक्ष्य भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।**

5— उक्त तीनों वित्तीय वर्ष में से किसी भी एक वित्तीय वर्ष में उल्लिखित कार्य से संबंधित एक समय में कम से कम **रूपये 15.00 लाख तक के एकमुश्त** कार्यादेश की प्रमाणित छाया प्रति एवं गुणवत्तायुक्त सन्तोषजनक ढंग से कार्य करने के पश्चात भुगतान से संबंधित अभिलेख/अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

6— निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म आदि को भारत सरकार/राज्य सरकार से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। फर्म आदि को 10.00 रूपये के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म आदि ब्लेक लिस्टेड नहीं है। **शपथ—पत्र नोटरी के समक्ष अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।**

7— निविदा—दाता फर्म आदि को **आयकर एवं अन्य किसी भी कर जो भी देय हों, का बकायादार/देनदार नहीं होना चाहिए। वित्तीय वर्ष—2010—11 तक** के जमा आयकर रिटर्न से **संबंधित रसीद/अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करनी** अनिवार्य होगी।

8— निविदा के साथ धरोहर के रूप में ***रूपये–2.50 लाख*** (रूपये दो लाख पच्चास हजार) मात्र की धनराशि बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, बैंक गारण्टी या सावधि जमा रसीद जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो, या राष्ट्रीय बचत पत्र, जो **मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड** (Chief Electoral Officer Uttarakhand) के पक्ष में तैयार किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9— निर्वाचन कार्यों की तात्कालिकता, महत्ता और समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए निविदा–दाता फर्म आदि का **विगत कम से कम तीन वर्षों से उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत पूर्ण रूप से स्थापित कार्यालय एवं कार्यशाला का होना नितान्त आवश्यक होगा।** इसी कार्यालय एवं कार्यशाला से फर्म के द्वारा विगत तीन वर्षों तक फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिन्टिग/निर्वाचन विभाग की समान प्रकृति का कार्य सम्पादित किया गया हो।

10— निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म आदि के पास **प्रत्येक दिन कम से कम 5.00 लाख पेज लेजर प्रिन्ट करने** की क्षमता रखने वाले उच्च गुणवत्ता के लेजर प्रिन्टर होने चाहिए। लेजर प्रिन्ट **कम से कम 1200DPI** पर ही स्वीकार की जायेगी उक्त नियत **DPI** से कम की लेजर प्रिन्टिग स्वीकार नहीं की जायेगी। और न ही इससे अधिक की **DPI** पर लेजर प्रिन्टिग करने पर कोई अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा।

11— लेजर प्रिन्टिग पर उच्च गुणवत्तायुक्त कम से कम **75 GSM** का फोटो स्टेट पेपर ही प्रयोग में लाया जायेगा **इससे न्यून गुणवत्ता** का कागज निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिन्टिग में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

12— मतदेय स्थलवार निर्वाचक नामावली का कवर पेज + नजरी नक्शा एक ही पेज पर आगे पीछे लेजर प्रिन्ट किए जायेंगे और शेष फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के पेज तथा समरी पेज प्रत्येक कागज पर एक तरफ ही लेजर प्रिन्ट किए जायेंगे।

13— निर्धारित गुणवत्तायुक्त कागज पर नियत गुणवत्ता के साथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार/मतदेय स्थलवार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिन्टिग करने के साथ–साथ Section-A के क्रमांक–3 के अनुसार इन्हें मतदेय स्थलवार Stapler करने, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार सुरक्षित ढंग से सेट तैयार कर कार्यादेश में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जिला निर्वाचन कार्यालयों के भण्डार कक्ष तक पहुँचाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित फर्म आदि का ही होगा।

14— जिला निर्वाचन कार्यालय भण्डार तक उक्तानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के सेट पहुँचाने के लिए किसी प्रकार का कोई भी किराया–भाड़ा और लोडिंग/अनलोडिंग हेतु मजदूरी आदि देय नहीं होगी।

15— निविदा के साथ अपेक्षित **धरोहर की धनराशि अपेक्षानुरूप** प्रस्तुत न करने पर निविदा मान्य नहीं होगी। तकनीकी निविदा Annexure-1 के साथ सभी अपेक्षित प्रमाण पत्र रखे जायेंगे। वित्तीय निविदा पृथक लिफाफे पर होंगी तद्नन्तर इन्हें एक लिफाफे में रखा जायेगा।

16— निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित निविदा-दाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख तकनीकी निविदाएं खोली जायेगी। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन एवं वर्गीकरण के उपरान्त अर्ह निविदा-दाताओं की सूची तैयार की जायेगी। तकनीकी निविदा में अर्ह पाये गये निविदा-दाताओं की ही यथा समय वित्तीय निविदाएं खोली जायेगी । अन्य अनर्ह पाए गए निविदा-दाताओं की वित्तीय निविदायें नहीं खोली जायेंगी

17— नियमानुसार तकनीकी निविदा में अर्ह पाई गई फर्म आदि की वित्तीय निविदा को ही खोला जायेगा। वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात जिस फर्म आदि को न्यूनत्तम निविदा के आधार पर एल0–1 की श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा ऐसी किसी भी फर्म आदि को उनके

द्वारा प्रस्तुत न्यूनत्तम दर के आधार पर आगणित धनराशि का ***10 प्रतिशत की धनराशि*** एकाउण्ट पेई डिमाण्ड ड्राफ्ट, कमर्शियल बैंक की फिक्स डिपोजिट, सावधि जमा रसीद या बैंक गारण्टी अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र **के द्वारा कार्यपूर्ति जमानत के रूप में प्रस्तुत करनी होगी।** फर्म आदि के लिखित अनुरोध पर उसकी निविदा धरोहर की धनराशि को जमानत की धनराशि में समाहित/प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

18– वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात निविदा समिति के द्वारा एल0–01 में वर्गीकृत फर्म आदि के द्वारा, कदाचित यदि उन्हें निविदा प्रक्रिया से बाहर करने के लिखित/मौखिक अनुरोध किया जाता है, या निर्धारित तिथि, समय तक अपेक्षित जमानत की धनराशि जमा नहीं की जाती है, या किसी भी प्रकार से निविदा प्रक्रिया से विमुख होने/सम्मिलित होने पर असमर्थता व्यक्त की जाती है तो ऐसी दशा में उसकी धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

19– निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर एल0–01 में वर्गीकृत फर्म आदि द्वारा कार्यादेश निर्गत होने पर नियत तिथि तक अपेक्षित गुणवत्ता के साथ निर्धारित मात्रा में निर्वाचक नामावली के सेट उपलब्ध न कराने पर संबंधित फर्म की जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और फर्म को नियमानुसार ब्लेक लिस्टेड करते हुए **Liquidated Damage के रूप में कार्यादेश के अनुरूप अनुमानित व्यय का कम से कम 20 प्रतिशत धनराशि के भुगतान का विभाग द्वारा दावा किया जा सकेगा,जो जमानत** की जब्त की गई धनराशि के अतिरिक्त होगी। ऐसी स्थिति में विभाग, फर्म आदि के विरूद्ध न्यायिक/दण्डात्मक कार्यवाही के लिए भी स्वतंत्र होगा।

20– समय पर सन्तोषजनक ढंग से लेजर प्रिन्टिग के पश्चात फैक्ट्री/कम्पनी आदि से गन्तव्य तक ट्रॉसपोर्टेशन, लोडिंग–अनलोडिंग या अन्य किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा और इस हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा या क्षतिपूर्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। फर्म/कम्पनी/साझेदार अथवा व्यक्तिगत आदि उक्त के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

21– नियमानुसार किसी भी फर्म/कम्पनी आदि की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात फर्म/कम्पनी आदि को 100.00 रूपये के नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पर तत्काल अनुबन्ध करना होगा जिसकी विषय वस्तु से यथा समय अवगत करा दिया जायेगा।

22– मोहरबन्द निविदाएं **ए4 साईज** के एक लिफाफे में प्रस्तुत की जायेंगी, जिसके मुख्य आवरण के शीर्ष पर '' **फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली की लेजर प्रिन्टिग हेतु निविदा**'' स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। इस मुख्य लिफाफे के अन्दर दो अलग–अलग मोहरबन्द लिफाफे होंगे जिनमें से एक लिफाफे पर ''**फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली की लेजर प्रिन्टिग हेतु तकनीकी निविदा**'' एवं दूसरे पर ''**फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली की लेजर प्रिन्टिग हेतु वित्तीय निविदा**'' स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

23– **तकनीकी निविदा** सम्बन्धी लिफाफे के अन्दर निम्नलिखित अभिलेखों आदि की **प्रमाणित छाया प्रति जिनके** प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म/कम्पनी की मुहर भी लगी हो तथा अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए गए हों Annexure-1 पर सांराश सहित रखी होनी चाहिएः–

1–व्यापार कर/आयकर/सेवाकर विभाग में रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी अभिलेख

2–पैन कार्ड

3–फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की सन्तोषजनक ढंग से गुणवत्तायुक्त लेजर प्रिन्टिग *करने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।*

4–अपेक्षित वित्तीय वर्षों की टर्नओवर से संबंधित सी0ए0द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंसशीट की प्रमाणित छाया प्रति।

5–ब्लेक लिस्टेड न होने का नोटरी के समक्ष तैयार शपथ–पत्र **मूल में**

6–विगत तीन वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में **रूपये 15.00 लाख** तक के एकमुश्त कार्यादेश की प्रति/सन्तोषजनक कार्य करने के पश्चात भुगतान सम्बन्धी वांछित अभिलेख।

7–किसी भी प्रकार के कर जो भी देय हों, का बकायादार/देनदार नहीं होने, वित्तीय वर्ष–2010–11 तक जमा आयकर रिटर्न से संबंधित रसीद/अभिलेख।

8–धरोहर की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट आदि मूल रूप में।

9–निविदा हेतु निर्धारित नियम/शर्तों के इस अभिलेख की प्रमाणित छाया प्रति जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म/कम्पनी आदि की मुहर सहित अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए गए हों।

10– निर्दिष्ट निविदा मूल्य के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वित्तीय हैसियत प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति ।

11–अन्य यदि कोई अभिलेख हों, फर्म/कम्पनी की मुहर अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर सहित।

12– Annexure-2 पर उत्तराखण्ड राज्य में कार्यालय/कार्यशाला का विवरण, कार्यशाला में स्थापित लेजर प्रिन्टरों की कुल संख्या तथा अन्य अपेक्षित विवरण।

24– **तकनीकी निविदा सम्बन्धी लिफाफे में प्राप्त अभिलेखों के आधार पर अर्ह पाई गई फर्म आदि का उत्तराखण्ड राज्य में कार्यालय एवं कार्यशाला स्थापित होने एवं कार्य क्षमता आदि का विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा जिसमें कार्यशाला में स्थापित लेजर प्रिन्टरों/वर्करों आदि का विशेष रूप से सत्यापन कर क्षमता का आंकलन किया जायेगा। कार्यालय/कार्यशाला के भौतिक सत्यापन के पश्चात ही अन्तिम रूप से तकनीकी निविदा की अर्हता का मूल्यांकन किया जायेगा। अन्तिम रूप से तकनीकी अर्हता के आधार पर अर्ह पाई गई निविदाओं के आधार पर ही वित्तीय निविदाओं को खोले जाने की कार्यवाही की जायेगी। कार्यालय एवं कार्यशाला के सत्यापन की उक्त कार्यवाही तकनीकी निविदाओं से संबंधित लिफाफे खोले जाने की कार्यवाही के पश्चात ही, सचिव एवं मु0नि0अ0 द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा यथा समय सुनिश्चित की जायेगी।**

25– **वित्तीय निविदा** सम्बन्धी लिफाफे के अन्दर केवल Annexure-3 जिस पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली की लेजर प्रिन्टिग की दरें अंको एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखी गई हो रखी होनी चाहिए। अन्य कोई भी सामग्री/अभिलेख वित्तीय निविदा सम्बन्धी लिफाफे के अन्दर न रखी जांय। वित्तीय निविदा में प्रस्तुत दर में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के टैक्स (Price including all taxes /गन्तव्य तक परिवहन, लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित) सम्मिलित होंगे।

26– कार्यापूर्ति आदेश के पश्चात फर्म/कम्पनी के द्वारा लेजर प्रिन्टिग के पश्चात आपूर्ति की गई फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली लेजर प्रिन्टिग, कागज और Stapler की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर निर्वाचन विभाग द्वारा सक्षम तकनीकी विभाग/कार्यालय/प्रयोगशाला से जॉच करवाई जा सकती है तथा जॉचोपरान्त गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित देयकों का न तो भुगतान किया जायेगा और न ही कोई दावा स्वीकार किया जायेगा साथ ही जमानत की धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी जिसके

लिए संबंधित फर्म आदि स्वयं उत्तरदायी होगा। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार दण्डनीय कार्यवाही करते हुए प्रस्तर–19 के अनुसार क्षतिपूर्ति का दावा भी किया जा सकेगा।

27– निविदा शर्तों के अधीन सन्तोषजनक ढंग से आपूर्ति किए जाने के फलस्वरूप विभाग का समाधान हो जाने के पश्चात ही आपूर्तिकर्ता फर्म/कम्पनी आदि को एक माह पश्चात अथवा निविदा की वैद्यता समाप्ति के पश्चात सचिव एवं मु0नि0अ0 अधिकारी के निर्देशानुसार ही उनकी जमानत की धनराशि लौटाए जाने पर विचार किया जायेगा।

28– देयक की कुल धनराशि के सापेक्ष विभाग द्वारा नियमानुसार टी0डी0एस0 की कटौती की जायेगी। लेजर प्रिन्टिग सम्बन्धी देयकों का भुगतान जिला निर्वाचन कार्यालयों द्वारा किया जायेगा।

29– सामान्यतः धरोहर धनराशि की वैधता निविदा की अन्तिम वैध अवधि के पश्चात 45 दिन होगी परन्तु इस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

30– निर्वाचन कार्यों की तात्कालिकता, महत्ता एवं समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर एल–01 में वर्गीकृत (अन्तिम रूप से तकनीकी अर्हता प्राप्त फर्म की न्यूनत्तम दर) फर्म एवं तकनीकी आधार पर अन्तिम रूप से अर्ह पाई गई फर्म/फर्मों आदि के मध्य एल–01 की न्यूनत्तम दरों पर **जनपदवार /विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार कार्य विभाजन करने का अधिकार सचिव एवं मु0नि0अ0 के पास सुरक्षित होगा।**

फर्म/फर्मों की एल–01 की न्यूनत्तम दरों से अनुरूप (Match)होने पर भी फर्म/फर्मों की समयान्तर्गत कार्यक्षमता सिद्ध न होने पर संबंधित फर्म/फर्मों आदि को कार्यादेश निर्गत करने की कोई वाध्यता नहीं होगी। पूर्ण रूप से तकनीकी अर्हता सिद्ध होने पर ही कार्य विभाजन का अधिकार सचिव एवं मु0नि0अ0 के पास सुरक्षित होगा।

31– सचिव एवं मु0नि0अ0 द्वारा एल–01 के आधार पर एक से अधिक फर्मों/कम्पनी आदि को कार्य विभाजन के उपरान्त कार्यदेश निर्गत करने पर कार्यदेश के अनुरूप अनुमानित व्यय के सापेक्ष प्रत्येक फर्म/कम्पनी आदि को निविदा में उल्लिखित नियम/शर्तों के अनुसार **10 प्रतिशत** की धनराशि जमानत के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। फर्म/कम्पनी के लिखित अनुरोध पर धरोहर की धनराशि को जमानत की धनराशि के रूप में समाहित/प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। कदाचित जमानत की धनराशि धरोहर की धनराशि से कम होने पर धरोहर की पूर्ण धनराशि को ही जमानत के रूप में समाहित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा इसके किसी भाग को वापस नहीं लौटाया जायेगा।

32– लेजर प्रिन्टिग जिला निर्वाचन कार्यालयों से प्राप्त तद् विषयक PDF DVD से ही सुनिश्चित की जायेगी। फर्म/फर्मों आदि को फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिन्टिग हेतु निर्गत कार्यादेश में उल्लिखित निर्धारित तिथि तक अपेक्षित मात्रा में लेजर प्रिन्ट सेट F O R तक उपलब्ध कराने अनिवार्य होंगे। निर्धारित अवधि में अधिकत्तम 24 घण्टे की अवधि ट्रान्सपोर्टेशन की अवधि भी सम्मिलित होगी। लेजर प्रिन्टिग का कार्य पूर्ण होने पर संबंधित फर्म को इस आशय का एक शपथ–पत्र भी संबंधित देयकों के साथ प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा उक्त PDF की न तो कोई कॉपी की गई है और न ही विभाग की अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को इसकी कॉपी उपलब्ध कराई गई है। देयकों के साथ मूल PDF DVD विभाग को वापस करने का उत्तरदायित्व भी संबंधित फर्म/कम्पनी आदि का होगा।

33– निविदा–दाता फर्म आदि के द्वारा जिस फर्म के नाम पर निविदा फार्म क्रय किया गया है, उसी फर्म आदि के नाम से सभी तकनीकी अभिलेख (तकनीकी निविदा में जो भी अपेक्षित है) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। इण्टरनेट से डाउनलोड करने पर भी उपरोक्त स्थिति

लागू होगी। अर्थात फर्म द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत सभी अभिलेख एक ही फर्म के नाम से होने अनिवार्य हैं।

34— निर्वाचन कार्यों की तात्कालिकता, महत्ता, समयबद्धता एवं गुणवत्ता को ध्यान में रखते दिनांक 09 नवम्बर, 2011 को पूर्वान्ह 11.00 बजे सचिव एवं मु0नि0अ0 उत्तराखण्ड के सचिवालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में पूर्व निविदा बैठक (Pre Bid Conference) आयोजित की गई है जिसमें इच्छुक निविदा—दाता प्रतिभाग कर सकते हैं।

35— निविदा वित्तीय वर्ष 2011—12 के लिए आमंत्रित की जाती है, किन्तु निविदा की वैद्यता तीन वर्ष तक के लिए विस्तारित की जा सकती है।

36— किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सचिव एवं मु0नि0अ0 के पास सर्वाधिकार सुरक्षित होगा। उक्त के संदर्भ में सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा। सशर्त कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा के सम्बन्ध में न्यायाधिकार क्षेत्र देहरादून मुख्यालय होगा। आवश्यकता पड़ने पर निविदा की नियम/शर्तों में संशोधन/परिवर्तन करने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा।

दिनांकः 25 अक्टूबर, 2011

ह0—
(सौजन्या)
अपर सचिव एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Annexure-1

फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिन्टिग हेतु तकनीकी निविदा की अर्हता का सारांश प्रपत्र

1– फर्म का नामः–

2– फर्म का पता (टेलीफोन नम्बर/ई मेल पता सहित):–

3– फर्म का स्वरूप (एकल स्वयं/साझेदारी, यदि साझेदारी हो तो साझेदारी के पत्रजात):–

4– व्यापार कर पंजीकरण संख्याः–

5– आयकर पंजीकरण पैन नम्बरः–

5क– सेवाकर पंजीकरण संख्याः–

6– फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की सन्तोषजनक ढंग से गुणवत्तायुक्त लेजर प्रिन्टिग कार्य करने के अनुभव का विवरणः–

7– विगत तीन वर्षों का टर्नओवर

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष–2008–09	वित्तीय वर्ष–2009–10	वित्तीय वर्ष–2010–11
1.	फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की सन्तोषजनक ढंग से गुणवत्तायुक्त लेजर प्रिन्टिग कार्य पूर्ण करना			

8– ब्लेक लिस्टेड/फर्म के विरूद्ध कोई शासकीय कार्यवाही होने की घोषणाः–

9– किसी भी शासकीय देयता की बकाया न होने तथा वर्ष–2010–11 तक जमा आयकर रिटर्न का विवरणः–

10– धरोहर की जमा राशि का विवरणः–

11– हैसियत का पूर्ण विवरणः–

12– उत्तराखण्ड राज्य में कार्यालय/कार्याशाला का विवरणः–

13– अन्यः–

संलग्नकों की संख्याः–

निविदा–दाता की घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि, फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली की लेजर प्रिन्टिग से संबंधित निर्वाचन विभाग द्वारा निविदा के लिए निर्धारित **प्रस्तर–1 से 36 तक** में उल्लिखित नियम/शर्तों को भली–भॉति से पढ़ व समझ लिया गया है और तत्पश्चात ही निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग किया जा रहा है। निविदा के लिए विभाग द्वारा नियत उपरोक्त नियम एवं शर्तें स्वीकार करते हुए यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निविदा की नियम/शर्तों का किसी भी प्रकार से अनुपालन न करने या उल्लंघन करने के लिए फर्म/कम्पनी आदि उत्तरदायी होगी।

हस्ताक्षर........................

पूरा नाम..

पूरा पता..

....

फर्म की मुहर यहां पर लगाई जाय।

पैन/टैन नं0...

फोन/फैक्स नं0...

मोबा0नं0...

Annexure-2

फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिन्टिग हेतु तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाने वाला फर्म का उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत स्थापित कार्यालय/कार्यशाला से संबंधित विवरण ।

1– फर्म का पूरा नामः–

2– फर्म का उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित कार्यालय/कार्यशाला का पूरा पताः–

....

....

....

3– उत्तराखण्ड राज्य में उपरोक्त पते पर स्थित कार्याशाला में स्थापित लेजर प्रिन्टिरों/वर्करों आदि का विवरणः–

क्र. सं.	वर्तमान में स्थापित/उपलब्ध लेजर प्रिन्टर/प्रिन्टरों की कुल संख्या	लेजर प्रिन्टर किस कम्पनी का है (प्रिन्टर का पूरा नाम, सीरीज और Manufacturing Year भी दें)	लेजर प्रिन्टर/प्रिन्टरों की DPI क्षमता	प्रति मिनट A4 साईज के पेजों की लेजर प्रिन्टिग क्षमता	एक दिन में (कम से कम 10 घण्टे) लेजर प्रिन्ट करने के कुल पेजों की क्षमता	लेजर प्रिन्टर की NON Stop कार्य करने की क्षमता (घण्टों में)	विद्युत आपूर्ति वाधित होने पर लेजर प्रिन्टरों के संचालन हेतु निर्वाध रूप से विद्युत की क्या वैकल्पिक व्यवस्था है	फर्म की कार्यशाला में उपलब्ध कुल कम्प्यूटरों की संख्या	कार्यशाला में कार्य करने वाले अनुभवी वर्करों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									

निविदा–दाता की घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि, फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली की लेजर प्रिन्टिग से संबंधित निर्वाचन विभाग द्वारा निविदा के लिए उपरोक्त निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचना वास्तविक रूप से भौतिक स्थिति के आधार पर ही प्रस्तुत की जा रही है। विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किए जाने पर इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई कमी अथवा भिन्नता पाए जाने पर फर्म/कम्पनी आदि उत्तरदायी होगी।

हस्ताक्षर........................
पूरा नाम..
पूरा पता..
....
पैन/टैन नं0..
फोन/फैक्स नं0..
मोबा0नं0..

फर्म की मुहर यहां पर लगाई जाय।

Annexure-3

फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिन्टिंग हेतु वित्तीय निविदा का फार्म

खण्ड-क (दर)

क्रं. सं.	विवरण	दर प्रति पेज	
		अंको में	शब्दों में
1-	फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली (फोटो सहित पेज)		
2-	कवर पेज+नजरी नक्शा+समरी पेज (फोटो रहित पेज)		

खण्ड-ख
(उपरोक्त न्यूनत्तम दर के आधार पर अनुमानित व्यय)

क्रं. सं.	विवरण	प्रत्येक पेज की 30 लेजर प्रति करने पर कुल पेजों की संख्या	दर प्रति पेज	अनुमानित कुल व्यय
1-	फोटोयुक्त पेजों की अनुमानित संख्या= 2 लाख	200000X30=6000000		
2-	कवर पेज + नजरी नक्शा + समरी पेजों की कुल संख्या = 29232	29232X 30= 876960		
कुल योग Rs.				

1-फर्म /कम्पनी आदि के प्रबन्धक/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर-

2-फर्म /कम्पनी आदि के प्रबन्धक/अधिकृत प्रतिनिधि का पूरा नाम:-

3-फर्म /कम्पनी आदि का पूरा पता:-

4-फर्म /कम्पनी आदि का व्यापारकर रजिस्ट्रेशन नम्बर-

5-फर्म /कम्पनी आदि का आयकर रजिस्ट्रेशन/पैन नम्बर-

5क-सेवाकर पंजीकरण संख्या:-

6-फर्म /कम्पनी आदि का टेलीफोन नम्बर / मो0नम्बर-

7-फर्म /कम्पनी आदि के कार्यालय/कार्यशाला आदि का स्थानीय पता-
 फोन नम्बर आदि-

कृपया फर्म /कम्पनी आदि की मोहर यहाँ लगायी जाय-